



WOMEN EMPOWERMENT-LOOKING BACK, LOOKING FORWARD

* Alka Jain,

* Rahul College Of Education, Navghar Road, Bhayander.

सारांश:

आज पूरे विश्व में महिला सशक्तिकरण एक चर्चा का विषय है। किसी भी देश की प्रगति में महिलाओं की अहम भूमिका होती है। चाहे वह आर्थिक क्षेत्र में हो सामाजिक क्षेत्र में हो, राजनीति क्षेत्र में हो या शैक्षणिक क्षेत्र में। भारतीय परिप्रेक्ष्य के संदर्भ में अगर हम बात करें तो भारत में महिलाओं की स्थिति सदैव एक समान नहीं रही है। उनके अधिकारों में युग के अनुसार परिवर्तन होते रहे हैं। उनकी स्थिति में अनेक उतार-चढ़ाव आते रहे हैं। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कई महिलाओं ने अपने अहम भूमिका अदा की। फिर भी कई महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक स्थिति दयनीय थी। ऐसी स्थिति में महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता महसूस हुई। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात कई सरकारी और गैर सरकारी संगठनों के अथक प्रयास से महिलाओं को उनकी पहचान दिलाने की कोशिश की गई। अगर हम आज के समय की बात करें तो महिलाएं हर क्षेत्र में उन्नति की ओर अग्रसर हो रही हैं। फिर भी हमारे देश में महिलाओं की स्थिति सुधारने की जरूरत है। शिक्षा के द्वारा हम नारियों को सशक्त करने का प्रयास कर सकते हैं। शिक्षा ही वह उपकरण है जिसके माध्यम से महिला समाज में अपनी उपयोगी भूमिका दर्ज करा सकती है जो भी देश आज शक्तिशाली है वह शिक्षा के माध्यम से आगे बढ़ रहे हैं। महिलाओं की स्थिति में सुधार से देश की आर्थिक और सामाजिक स्थिति बदल सकती है।

आज महिलाएं कंधे से कंधा मिलाकर पुरुषों के साथ आगे बढ़ रही हैं। हमारे भारतीय समाचार समाज में महिलाओं की स्थिति दूसरे विकासशील देशों की तुलना में बेहतर है। महिला सशक्तिकरण की वजह से महिलाएं इस प्रतियोगी संसार में अपने अधिकारों और विशेष अधिकारों के बारे में अच्छी तरह से जागरूक हो रही हैं। वे परिवार के प्रति भी अपने जिम्मेदारियों को बखूबी निभाती हैं। साथ ही अपने कार्य क्षेत्र में भी अपनी योग्यता का प्रदर्शन करती हैं।

पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था – “लोगों को जगाने के लिए महिलाओं का जागृत होना जरूरी है। हमारे देश में ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं जहां महिलाओं को उचित अधिकार एवं सम्मान नहीं दिया जाता। उन्हें हर तरह से पुरुषों से कम ही आँका जाता है। इसलिए हमें महिला सशक्तिकरण की अति आवश्यकता है, जहां वह अपने फैसले खुद ले सकें।

शब्द कुंजी: महिला शक्ति, आधुनिक विचार, समानता, उपलब्धियाँ

Copyright © 2023 The Author(s): This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY-NC 4.0) which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium for non-commercial Use Provided the Original Author and Source Are Credited.



प्रस्तावना:

प्रस्तुत पत्र में महिलाओं के अधिकारों और स्थिति के बारे में चर्चा की गई है। पीछे मुड़कर देखें तो कई सदियों से महिलाओं का योगदान हर क्षेत्र में रहा है।

आज के आधुनिक युग में भी महिला हर क्षेत्र में सक्रिय है लेकिन फिर भी सशक्तिकरण की आवश्यकता महसूस होती है। किसी भी राष्ट्र के विकास में महिलाओं की भागीदारी रहती है। भारत जैसे देश में एक महिला घर के कामों और परिवार के सदस्यों की देखभाल करने तक ही सीमित है। उसे अपने अधिकारों से अवगत कराना जरूरी है तभी हम एक सुदृढ़ समाज की स्थापना कर सकेंगे। महिलाओं को स्वयं भी अपने अधिकारों के लिए, अपनी पहचान बनाने के लिए कदम उठाने होंगे। इस संदर्भ में महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए कुछ पंक्तियां निम्नलिखित हैं-

“कोशिश कर हल निकलेगा

आज नहीं तो कल निकलेगा

अर्जुन के तीर सा सद

मरुस्थल से भी जल निकलेगा

मेहनत कर पौधों को पानी दे

बंजर जमीन से भी जल निकलेगा

ताकत जुटा हिम्मत को आग दे फौलाद का भी बल निकलेगा

जिंदा रख दिल में उम्मीदों को गरज के समंदर से भी गंगाजल निकलेगा

कोशिश जारी रख कुछ कर गुजरने की जो है आज थमा

थमा सा चल निकलेगा”

महिलाओं में न सिर्फ अपने जीवन को बल्कि दुनिया को आकार देने की क्षमता है। एक शिक्षित महिला अपने आसपास के लोगों के बेहतर जीवन का निर्माण करने में सक्षम होती है।

महिला सशक्तिकरण - अर्थ ,आवश्यकता , महत्व

महिला सशक्तिकरण को अगर आसान सी भाषा में व्यक्त करना चाहे तो इसका अर्थ यह है कि महिलाओं को अपनी जिंदगी का फैसला करने की पूरी आजादी या उनमें ऐसी कौशल पैदा करना जिससे वे समाज में अपना उचित स्थान प्राप्त कर सकें। महिला सशक्तिकरण दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। इसके द्वारा उन्हें उनके अधिकारों से अवगत कराया जाता है। विश्व के लगभग सभी समाजों में महिलाओं का दर्जा पुरुषों के समान नहीं है। वर्तमान सामाजिक परिस्थिति में पुरुषों को अधिक संसाधन और निर्णय लेने की शक्ति प्राप्त है।

महात्मा गांधी के अनुसार –“हमारा पहला प्रयास अधिक से अधिक महिलाओं को उनके वर्तमान स्थिति के प्रति जागरूक करना होना चाहिए।”

अर्थशास्त्री वीणा अग्रवाल के अनुसार-“ महिला सशक्तिकरण को एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में व्यक्त करती है जिससे दुर्बल एवं उपेक्षित लोगों के समूहों की क्षमता बढ़े जिससे महिलाएं अपने आप को निम्न आर्थिक सामाजिक और राजनीतिक स्थिति में डालने वाले मौजूदा शक्ति संबंधों को बदलकर अपने पक्ष में कर सकें। नारी सशक्तिकरण से



तात्पर्य नारी को आत्मनिर्भर बनाना है। नारी को समाज में समानता प्रदान करना है।”

डॉक्टर अरुण कुमार सिंह के अनुसार-“ महिला सशक्तिकरण का अर्थ है महिला को शक्ति संपन्न बनाना ताकि वह सहजता से अपने जीवन यापन की व्यवस्था कर सके।”

उपयुक्त भाषाओं के आधार पर यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि महिला सशक्तिकरण महिला उत्थान एवं विकास और उन्हें हर तरह से सक्षम बनाना। परंपरागत विचारधारा के अनुसार एक समान कार्य करने के लिए महिलाओं को पुरुषों की अपेक्षा कम वेतन और मजदूरी दी जाती है। लगभग सभी क्षेत्रों में महिलाओं के साथ भेदभाव किया जाता है। महिला सशक्तिकरण की जागरूकता के बिना महिलाओं के प्रति हो रहे अत्याचार और असमानता को दूर नहीं किया जा सकता है। यदि महिलाएं सशक्त नहीं हैं तो वह अपनी खुद की पहचान नहीं बना सकते। यह उन्हें कार्यक्षेत्र में भी सुरक्षित वातावरण प्रदान करता है। अपने प्रति होने वाले अत्याचारों से लड़ने के लिए भी एक उपकरण का कार्य करता है। उन्हें कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है। समाज को प्रगतिशील बनाने के लिए महिलाओं को समान अवसर प्रदान किए जाने की आवश्यकता है।

महिला सशक्तिकरण से महिलाओं में आत्म सम्मान व आत्मविश्वास बढ़ता है। वे समाज में सम्मानजनक स्थान प्राप्त कर पाती हैं। इससे उनकी अलग पहचान बनती है और नई ऊंचाइयों के आयाम को छूती है। महिलाओं को सशक्त

बनाने के लिए उन्हें लड़कों के बराबर अधिकार मिलना चाहिए। पढ़ने के साथ-साथ रोजगार का रास्ता मिलने से ही लड़कियां आगे बढ़ पाएंगे। समृद्ध समाज का निर्माण करने के लिए लड़कियों को अपने अधिकार के प्रति जागरूक होना होगा तभी मुकाम हासिल होगा। लोगों की मानसिकता में बदलाव लाने की आवश्यकता है। रूढ़िवादी मानसिकता के चलते ही लड़कियां पूरी तरह शिक्षित नहीं हो पाती। महिलाएं शिक्षा के अभाव में न तो अपने अधिकारों के बारे में जान पाती हैं और न ही समाज से जुड़ पाती हैं इसलिए उन्हें शिक्षित करना बहुत जरूरी है और उन्हें रोजगार के अवसर उपलब्ध करा सकते हैं।

लड़कियों का शिक्षित होना मतलब देश की 40% आबादी अशिक्षित है। कई महिलाओं में कई प्रतिभाएं होती हैं अगर उन्हें ठीक तरह से सही दिशा प्रदान की जाए तो विदेश के निर्माण में अपना योगदान कर सकते हैं। महिला सशक्तिकरण की जरूरत पड़ती है क्योंकि प्राचीन समय से हमारे यहां लैंगिक समानता एवं पुरुष प्रधान समाज रहा है। महिलाओं को अपने ही परिवार और समाज में दबाया गया और उनके साथ भेदभाव होता आया है। केवल भारत में ही नहीं बल्कि दूसरे देशों में भी देखने को मिलता है। आज लड़की के जन्म पर मनाया जाता है और लड़के के जन्म पर मिठाइयां बांटी जाती हैं। इसके लिए हमें अपनी सोच को बदलना होगा तभी हम महिलाओं को मां बेटी और पत्नी बना पाएंगे और उनके विश्वास को जीत पाएंगे। किसी ने खूब कहा है -



तुम हो तो घर घर लगता है

वरना इस घर में डर लगता है

तेरे माथे पर यह आंचल खूब अच्छा लगता है

अगर इस आंचल को तो परचम बना लेते।

महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता तभी महसूस की जाती है जब किसी देश की आधी आबादी या कहीं आधी से ज्यादा आबादी औरतों की है। बिना महिलाओं की उन्नति के हम किसी के भी उज्ज्वल भविष्य की कामना नहीं कर सकते। पुराने समय से यह सोच चली आ रही है कि महिलाओं को घर तक ही सीमित रखना चाहिए उन्हें पर्दे के अंदर ही रखना चाहिए।

उद्देश्य:

- * महिला सशक्तिकरण का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को दूसरों से आगे निकलने और समान अधिकार प्राप्त करने का मौका देना है।
- * इसका उद्देश्य महिलाओं की प्रकृति और उनमें आत्मविश्वास का संचार करना है। *महिलाओं को पुरुष के समान इस समाज में समानता दिलाना है।
- * महिलाओं को शिक्षित कर उन्हें रोजगार उपलब्ध करा घर घर परिवार की जरूरतों को पूरा कराया जा सकता है।
- * महिला सशक्तिकरण से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है समाज के विकास में महिला अपना योगदान कर सकते हैं। अगर महिला शिक्षित होगी तो वह अपने परिवार को भी पढ़ा-लिखा बनाने की

कोशिश करेगी इसके चलते हमारे देश को पढ़े लिखे नौजवान मिलेंगे।

विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं की उपलब्धियां:

चाहे हम आधुनिक युग की बात करें या प्राचीन युग की हर समय महिलाओं ने अपने अपने क्षेत्र में उपलब्धियां हासिल की है। आज के इस आधुनिक युग में नारी पुरुष से किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। चाहे वह शैक्षणिक क्षेत्र हो, राजनीतिक क्षेत्र हो सामाजिक क्षेत्र हो या आर्थिक क्षेत्र हो हमारे देश की ऐसी कई नारियां हैं जिन्होंने आसमान की बुलंदियों को छुआ है और देश का नाम रोशन किया है। प्राचीन काल में साधारणतया नारियों का क्षेत्र घर की चारदीवारी तक ही सीमित था। परंतु आज के

समय में वह कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग प्रदान कर रही हैं और देखा जाए तो हर क्षेत्र में नारी पुरुषों से आगे भी हैं।

राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं का योगदान:

राजनीति में महिलाओं की भूमिका एक बहुत व्यापक प्रभाव है जो न सिर्फ वोटिंग अधिकार, वयस्क फ्रैंचाइजी और सत्तारूढ़ पार्टी की आलोचना करने भर पर निर्भर करता है, बल्कि निर्णय लेने की प्रक्रिया, राजनीतिक सक्रियता, राजनीतिक चेतना आदि में भागीदारी से संबंधित है। हालांकि भारत में महिलाएं मतदान में भाग लेती हैं, बड़ी संख्या में निचले स्तर पर सार्वजनिक कार्यालयों और राजनीतिक दलों में प्रस्तुत हैं, लेकिन भारतीय राजनीति के उच्च राजनीतिक स्तरों के बीच समानता के कुछ अपवादों के अलावा महिलाओं की उपस्थिति नगण्य है।



भारतीय राजनीतिक व्यवस्था पुरुषों और महिलाओं को उनके लिंग के बावजूद समान शक्तियां और भूमिका देती है। भारत में लगभग 15 वर्षों के लिए देश की प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल और विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज, लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन, रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण जी, मंत्री स्मृति ईरानी, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, वर्तमान राजस्थान की मुख्यमंत्री सुश्री वसुंधरा राजे सिंधिया, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, जम्मू और कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूब मुफ्ती को किसी भी परिचय की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने आधुनिक भारत की राजनीति में प्रमुख और निर्णायक भूमिका निभायी है।

सामाजिक क्षेत्र में महिलाओं का योगदान:

महिलायें समाज के विकास एवं तरक्की में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उनके बिना विकसित तथा समृद्ध समाज की कल्पना भी नहीं की जा सकती। ब्रिघम यंग के द्वारा एक प्रसिद्ध कहावत है की 'अगर आप एक आदमी को शिक्षित कर रहे है तो आप सिर्फ एक आदमी को शिक्षित कर रहे है पर अगर आप एक महिला को शिक्षित कर रहे है तो आप आने वाली पूरी पीढ़ी को शिक्षित कर रहे है'। समाज के विकास के लिए यह बेहद जरूरी है की लड़कियों को शिक्षा में किसी तरह की कमी न आने दे क्योंकि उन्हें ही आने वाले समय में लड़कों के साथ समाज को एक नई दिशा देनी है। ब्रिघम यंग की बात को अगर सच

माना जाए तो उस हिसाब से अगर कोई आदमी शिक्षित होगा तो वह सिर्फ अपना विकास कर पायेगा पर वहीं अगर कोई महिला सही शिक्षा हासिल करती है तो वह अपने साथ साथ पूरे समाज को बदलने की ताकत रखती है।

महिलाओं के बिना मनुष्य जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसे पागलपन ही कहा जाएगा की उनकी प्रतिभा को सिर्फ इसी तर्क पर नज़रअंदाज कर दिया जाए कि वे मर्द से कम ताकतवर तथा कम गुणवान है। भारत की लगभग आधी जनसँख्या का प्रतिनिधित्व महिलाएं करती है। अगर उनकी क्षमता पर ध्यान नहीं दिया गया तो इसका साफ़ साफ़ मतलब है देश की आधी जनसँख्या अशिक्षित रह जाएगी और अगर महिलाएं ही पढ़ी लिखी नहीं होगी तो वह देश कभी प्रगति नहीं कर पाएगा। हमें यह बात समझनी होगी की अगर एक महिला अनपढ़ होते हुए भी घर इतना अच्छा संभाल लेती है तो पढ़ी लिखी महिला समाज और देश को कितनी अच्छी तरह से संभाल लेगी।

आर्थिक क्षेत्र में महिलाओं का योगदान:

भारतीय अर्थव्यवस्था में महिलाएँ अग्रणी भूमिका निभाती आई हैं। कृषि कार्य और उच्च बचत दर निर्माण सहित आर्थिक गतिविधियों के विस्तृत दायरे में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। हाल तक भारत की विकास दर उच्च रही है और इसका कारण बचत और पूंजी निर्माण की उच्च दर है। भारत में बचत दर सकल घरेलू उत्पाद का 33 प्रतिशत है, जिसमें 70 प्रतिशत घरेलू बचत और 20 प्रतिशत निजी क्षेत्र की बचत तथा 10 प्रतिशत सार्वजनिक



क्षेत्र की बचत का योगदान है। बचत, उपभोग-अभिवृत्ति और पुनर्चक्रण-प्रवृत्ति के मामले में कोई संदेह नहीं है कि भारत की अर्थव्यवस्था महिला केन्द्रित है। कृषि उत्पादन में महिलाओं की औसत भागीदारी का अनुमान कुल श्रम का 55 प्रतिशत से 66 प्रतिशत तक है। डेयरी उत्पादन में महिलाओं की भागीदारी कुल रोजगार का 94 प्रतिशत है। वन-आधारित लघु-स्तरीय उद्यमों में महिलाओं की संख्या कुल कार्यरत श्रमिकों का 54 प्रतिशत है।

ग्रामीण महिलाओं को श्रम के मामले में दोहरी भूमिका का निर्वहन करना होता है। उनकी एक भूमिका परिवार की भोजन और अन्य आवश्यकताओं को पूरा करने की होती है तो दूसरी ओर उन्हें जरूरत पड़ने पर खेती के कार्यों में सहयोग देना होता है। शहरों में रहने वाली महिलाओं की श्रम के क्षेत्र में भूमिका भिन्न है। यहाँ पर मोटे तौर पर श्रमिक महिला और घरेलू महिला के दो वर्ग हैं।

यह प्रश्न सामने आता है कि आने वाले समय में थर्ड बिलियन यानी दुनिया की तीन अरब महिलाएँ किस प्रकार की भूमिका निभाएंगी और दुनिया की सरकारी व पूंजीवादी संस्थाएँ उन्हें संरक्षण और प्रोत्साहन देंगी या फिर उनके मार्ग को रोकने की कोशिश करेंगी। पिछले दिनों अंतरराष्ट्रीय परामर्श व प्रबंधन संस्था 'बूज एंड कम्पनी' ने 'थर्ड बिलियन इंडेक्स' नाम की अपनी एक शोध रिपोर्ट में निष्कर्ष निकाला है कि अगले एक दशक में दुनिया के कुल कार्यबल में एक अरब महिलाएँ शामिल होंगी, लेकिन आर्थिक सशक्तीकरण तथा पेशेवर सफलता के मामले में उनके

सामने काफी चुनौतियाँ भी आएंगी। थर्ड बिलियन शब्द विकासशील और औद्योगिक देशों की उन महिलाओं का प्रतिनिधित्व करता है जो 2020 में वैश्विक अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता, उत्पादक, कर्मचारी और उद्यमियों का स्थान ग्रहण कर पहली बार अर्थव्यवस्था की मुख्य धारा में शामिल होंगी। कम से कम भारत और चीन की अर्थव्यवस्थाओं पर इन महिलाओं का प्रभाव महत्वपूर्ण तरीके से पड़ने की आशा की जा सकती है क्योंकि इन देशों में इनकी आबादी लगभग एक अरब से अधिक है।

अर्थव्यवस्था में सूचना प्रौद्योगिकी के दृष्टतम उपयोगकर्ताओं के रूप में महिलाओं की भूमिका में दिनोंदिन विस्तार होता जा

रहा है। एयरलाइंस एक बड़ा सेवा क्षेत्र है जिसमें महिलाओं को अच्छा व्यक्तित्व, संचार कौशल और कंप्यूटर योग्यता के साथ प्राथमिकता मिलती है। बैंकिंग प्रौद्योगिकी के माध्यम से क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, एटीएम, वेस्टर्न मनी ट्रांसफर, टेलर प्रणाली और ई बैंकिंग प्रणालियाँ तेजी से विकसित हुई हैं। इन कार्यों को महिलाएँ कम्प्यूटर अनुप्रयोगों के साथ संभव बना रही हैं। इसी तरह शिक्षा के क्षेत्र में आईटी के जरिए महिलाओं के लिए अवसरों में बढ़ोत्तरी हुई है। मोबाइल फोन, इनटरनेट आदि की सुविधा के साथ अन्य सेवाओं में भी महिलाओं की मांग अत्यधिक बढ़ रही है। मेडिकल ट्रांस्क्रिप्शन (Transcription) सेवा क्षेत्र पिछले कुछ वर्षों में उभरा है। इसमें मुख्य रूप से महिलाएँ की इलाज और संबंधित चिकित्सा शर्तों



को समझाती हैं। ई-पुस्तकों में नए कैरियर, ई-पत्रिकाएँ, ई-प्रकाशन और वेब डिजाइन वर्तमान परिदृश्य में लोकप्रिय हैं जहाँ महिलाओं की संख्या और उनकी भूमिका तेजी से बढ़ी हैं। थर्ड बिलियन इंडेक्स रिपोर्ट में कहा गया है कि यदि महिलाओं के रोजगार की दर पुरुषों की रोजगार दर के सामान हो तो भारत के सकल घरेलू उत्पादन में 27 प्रतिशत की वृद्धि हो सकती है। विदित है कि महिलाओं और पुरुषों की रोजगार-दर में समानता लाकर संयुक्त अरब अमीरात और मिस्र सरीखी विकासशील अर्थव्यवस्थाएँ अपने सकल घरेलू उत्पाद में क्रमशः 42 और 34 प्रतिशत की वृद्धि कर सकती हैं। कमोबेश ऐसा ही विकसित देशों की अर्थव्यवस्था के साथ भी हो सकता है। महिलाओं की रोजगार दर को पुरुषों की रोजगार दर के समान लाकर अमेरिका की अर्थव्यवस्था 5 प्रतिशत और जापान की अर्थव्यवस्था 9 प्रतिशत की दर से वृद्धि कर सकती हैं। अर्थव्यवस्था के दरवाजे के बाहर खड़ी भारतीय महिलाओं की स्थिति पर टिप्पणी करते हुए रिपोर्ट में कहा गया है कि “अधिकांश भारतीय महिलाओं को पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधा, सामाजिक सेवा, परिवहन तथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त नहीं है। अगर अपनी महिला जनसंख्या को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना चाहता है तो उसे इन बुनियादी समस्याओं का समाधान करना चाहिए। हालाँकि भारत में प्राथमिक और माध्यमिक स्तर की शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए अच्छा-खासा जोर दिया गया है लेकिन भारत में विनिर्माण का क्षेत्र तेजी से बढ़ रहा है और

इसके लिए व्यावसायिक रूप से दक्ष लोगों की आवश्यकता है, जबकि देश की शिक्षा व्यवस्था इस मामले में मांग के अनुरूप पूर्ति नहीं कर पा रही है।”

11वीं पंचवर्षीय योजना में महिला सशक्तिकरण पर बने एक कार्यकारी समूह के अनुसार वैश्वीकरण ने महिलाओं पर विपरीत प्रभाव डाला है। इसकी रिपोर्ट में कहा गया है कि अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण तथा उदारीकरण के बढ़ने और सेवाओं के निजीकरण की बढ़ती प्रवृत्ति के कारण सामूहिक रूप से महिलाएँ पीछे रह गई हैं और इसकी सफलता से होने वाले लाभ उठाने में असफल रही हैं। नए और अन्य उभरते हुए क्षेत्रों में महिलाओं को मुख्य धारा में लाना अनिवार्य है। इसके लिए संबंधित क्षेत्रों में प्रशिक्षण और कौशल आवश्यक होगा, इससे इन क्षेत्रों में महिलाओं को व्यावसायिक शिक्षा और रोजगार के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। इसके लिए यह भी आवश्यक होगा कि कार्य के लिए महिलाओं को शहरों और महानगरों में आने के लिए प्रवृत्त किया जाए। सुरक्षित आवास तथा कार्यस्थल पर लिंगभेद रहहित सुविधाएँ प्रदान करना भी आवश्यक होगा।

शैक्षणिक क्षेत्र में महिलाओं का योगदान:

देश की सर्वांगीण प्रगति में एक सजग, सफल, सुयोग्य नागरिक के रूप में अपनी भूमिका सुनिश्चित करने हेतु भी प्रत्येक बालिका, स्त्री का शिक्षित होना अनिवार्य है। संविधान ने महिलाओं को अनेक अधिकार प्रदान किये हैं, सरकार ने भी उन्हें कागज़ों पर अनेक सुविधाएँ सुलभ करवायी हैं परन्तु व्यावहारिक जगत् में उन सबकी प्राप्ति



शिक्षा के माध्यम से ही सम्भव है। महिलाओं के कल्याण के लिए बने तमाम कानून और लाभकारी योजनाएँ तब तक बेमानी हैं जब तक बालिका शिक्षा का समुचित प्रसार पूरे देश में नहीं हो जाता। सरकार ने लड़कियों के हकों की खातिर सशक्तिकरण के लिए शिक्षा का नारा दिया है। लेकिन नारा जितना आसान है लक्ष्य उतना ही मुश्किल हो रहा है। चाईल्ड राईट्स एण्ड यू क्राई के मुताबिक भारत में 5 से 9 साल की 53 फीसदी लड़कियां पढ़ना नहीं जानती इनमें से ज्यादातर रोटी के चक्कर में घर या बाहर काम करती हैं। यहां वह यौन उत्पीड़न या दुर्व्यवहार की शिकार बनती हैं।

4 से 8 साल के बीच 19 फीसदी लड़कियों के साथ बुरा व्यवहार होता है। इसी तरह 8 से 12 साल की 28 फीसदी और 12 से 16 साल की 35 फीसदी लड़कियों के साथ भी ऐसा ही होता है। राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो से मालूम हुआ कि बलात्कार, दहेज प्रथा और महिला शोषण से जुड़े मुकदमों की तादाद देश में सालाना 1 लाख से ऊपर है। देश में महिलाओं की कमजोर उपस्थिति मौजूदा संकटों में से एक बड़ा संकट है।

इस देश में समाज के निम्न वर्ग की औरतें तो हमेशा से ही मजदूरी करती रही हैं, किन्तु उच्च वर्ग की महिलाएँ अधिकतर अपने घरों तक ही सीमित रही हैं। स्वतंत्र भारत में अब महिलाएँ घर की चहारदीवारी से निकलकर अधिकाधिक संख्या में वैतनिक एवं लाभपूर्ण व्यवसायों और काम-धन्धों में आने लगी हैं, जिन पर अब तक पुरुषों

का अधिपत्य था। यह एक अपूर्व घटना है और एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में भारत की विशेषता भी है। संविधान में यद्यपि सिद्धान्त रूप में स्त्री और पुरुष को समान अधिकार दिये गये हैं। पर व्यवहार में वह बात नहीं है और अनेक सामाजिक बाधाएँ उनके विकास में बाधक हैं। अतः नारियों को व्यावहारिक रूप से समान अधिकार मिलना चाहिये। भारतीय नारी परिवार, समुदाय और समाज में तभी उत्साहपूर्वक अपनी भूमिका का निर्वाह कर सकती है, जब सामाजिक जीवन में उसके काम और जीवन की दशाओं में सुधार होगा और वह स्वयं को सामाजिक, आर्थिक व मानसिक रूप से बन्धनमुक्त कर पायेगी।

उपसंहार:

केन्द्र सरकार द्वारा संसद तथा विधानमण्डलों में महिलाओं के लिए एक-तिहाई सीटों पर आरक्षण प्रदान करने हेतु वर्ष 1998 एवं 1999 में प्रस्तावित विधेयक को पास करने हेतु सभी राजनैतिक पार्टियों में आम राय बनाने की कोशिश की गयी तथा इसको पास कराने का भरसक प्रयास किया गया। यद्यपि तमाम अड़चनों के बावजूद यह विधेयक पारित नहीं किया जा सका, फिर भी महिलायें पंचायती राज व्यवस्था के माध्यम से अपनी भूमिका को कहीं-न-कहीं उजागर कर रही हैं।

देश में महिलाओं को राजनैतिक, आर्थिक और सामाजिक विकास में बराबरी की भागीदारी के अवसर प्रदान करने के लिए विशेष प्रयास किया जाना आवश्यक है। इस तरह निम्न कदम उठाने की जरूरत है:



देश में महिलाओं के लिए ऐसा वातावरण तैयार करना जिससे कि वे महसूस कर सकें कि वे आर्थिक और सामाजिक नीतियां बनाने में शामिल हैं। महिलाओं को मानव अधिकारों का उपयोग करने हेतु सक्षम बनाना।

देश में महिलाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा में भागीदारी सुनिश्चित करना, महिलाओं के प्रति किसी तरह के भेदभाव को दूर करने के लिए समुचित कानूनी प्रणाली सामुदायिक प्रक्रिया विकसित करना, समाज में महिलाओं के प्रति व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए महिलाओं और पुरुषों को समाज में बराबर की भागीदारी निभाने को बढ़ावा देना, महिलाओं और महिलाओं और बालिकाओं के प्रति किसी भी प्रकार के अपराध के रूप में व्याप्त असमानताओं को दूर करना इत्यादि।

अन्ततः कहना होगा कि –

“कोमल है कमजोर नहीं तू शक्ति का नाम ही नारी है।

जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है”

REFERENCES:

- <https://hindiguide.in/%e0%a4%b8%e0%a5%81%e0%a4%aa%e0%a5%8d%e0%a4%b0%e0%a4%ad%e0%a4%be%e0%a4%a4-%e0%a4%b6%e0%a4%be%e0%a4%af%e0%a4%b0%e0%a5%80-good-morning-shayari-in-hindi-2-line-sher-sms-messages/>
- <https://www.hindikiduniya.com/essay/role-of-women-in-society-essay-in-hindi/>
- https://www.rachanakar.org/2015/05/blog-post_19.html
- <https://www.gkexams.com/ask/59736-Rajniti-Me-Mahilaon-Ki-Bhumika-Par-Nibandh>
- <https://www.nityastudypoint.com/2022/12/Mahila-sashaktikaran-per-nibandh.html>
- www.alresearchjournal.com
- [hindivyakaran.com/2018/11/mahila-shashaktikarn-in-hindi.html](https://www.hindivyakaran.com/2018/11/mahila-shashaktikarn-in-hindi.html)

Cite This Article:

*Dr. Jain A., (2023). Women Empowerment-Looking Back, Looking Forward, *Educreator Research Journal*, Volume-X, Issue-II, March-April 2023, 99-107.